

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

-: कार्यालय आदेश :-

क्रमांक : रिमाण्ड ड्यूटी / 2026 / 04

दिनांक : 17.02.2026

भैं कृष्णा गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) एवं तद् हेतु प्राधिकृत करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित करती हूँ कि बाड़मेर न्यायक्षेत्र में मार्च व अप्रैल 2026 में निम्नलिखित राजकीय अवकाशों में बाड़मेर न्यायक्षेत्र में स्थित न्यायालयों के, यथा विधिनुसार, आपराधिक प्रकरणों में आवश्यक प्रकृति के कार्य, यथा पुलिस अभिरक्षा/न्यायिक अभिरक्षा प्रतिप्रेषण, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु-समीक्षा जॉच एवं अन्य सभी प्रकृति के आवश्यक कार्य तथा प्रोटोकॉल संबंधी कार्य, उन तिथियों के समक्ष अंकित अधिकारी वर्णित राजकीय अवकाशों की तिथियों को एवं नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्पूर्व कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर और यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चात्पूर्व कार्य दिवस का अवकाश घोषित होता है तो संबंधित अधिकारी को मुख्यालय पर ही रहकर उक्त कार्य को उक्त अध्यक्षित अधिकारी अपने निवास स्थान पर नियमानुसार सम्पादित करेंगे :-

क्र.सं.	दिनांक	नाम अधिकारी मय पद
1.	01.03.2026, 02.03.2026 व 03.03.2026	सुश्री ज्योति भट्ट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
2.	08.03.2026 व 10.03.2026	सुश्री कार्तिका गहलोत, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02 बाड़मेर
3.	14.03.2026 व 15.03.2026	श्री नगेन्द्र मीणा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़ामालानी
4.	20.03.2026, 21.03.2026 व 22.03.2026	श्री रविन्द्र छावा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिव
5.	26.03.2026, 29.03.2026 व 31.03.2026	श्रीमती गीतिका गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़ामालानी
6.	03.04.2026 व 05.04.2026	श्री अंकुर गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02 बाड़मेर
7.	11.04.2026, 12.04.2026 व 14.04.2026	सुश्री वैदानी सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 बाड़मेर
8.	19.04.2026 व 26.04.2026	श्री विजय कुमार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन

नोट :- साथ ही, यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई पीठासीन अधिकारी, जिन्हे उक्त अवकाश के दिन उक्तानुसार आवश्यक कार्य करने हेतु अधिकृत नहीं किया गया हैं, किन्तु वह अपने मुख्यालय पर (उपार्जित/अर्द्धवैतनिक/रूपांतरित अवकाश के अतिरिक्त) उपलब्ध है, तो उनके द्वारा उस मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के उक्तानुसार ही आवश्यक प्रकृति के कार्य निष्पादित करेंगे।

-सही-

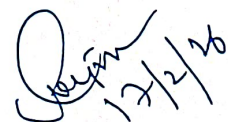
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर

आदेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

क्रमांक :- 754 - 770

दिनांक :- 17.02.2026

- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बाड़मेर।
- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 बाड़मेर/संख्या 02 बाड़मेर/चौहटन/गुड़ामालानी।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर/चौहटन/गुड़ामालानी/शिव/सेड़वा।
- अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 बाड़मेर/संख्या 02 बाड़मेर।
- श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर को प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करते हुए निर्देशित करावे कि अधिकारीगण के आवासीय परिसर में बिना आज्ञा मुलजिमान को प्रवेश नहीं कराया जावे।
- आबकारी अधिकारी, बाड़मेर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को सूचित करते हुए निर्देशित करावे कि अधिकारीगण के आवासीय परिसर में बिना आज्ञा मुलजिमान को प्रवेश नहीं करावा जावे।
- सहायक निदेशक, अभियोजन, बाड़मेर।
- सिस्टम अधिकारी, जिला न्यायालय, बाड़मेर, को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।
- कन्ट्रोल रूम, बाड़मेर।
- रक्षित पत्रावली।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर